भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5276

उत्तर देने की तारीख 04 अप्रैल, 2022

सोमवार, 14 चैत्र,1944 (शक)

राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान

5276 श्री मनोज तिवारी: श्री सुधीर गुप्ता: श्री प्रतापराव जाधव:
श्री संजय सदाशिवराव मांडलिक: श्री बिद्युत बरन महतो: श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

क्या **कौशल विकास और उद्यमशीलता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (एनआईआईएसबीयूडी) ने स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) के माध्यम से जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौता ज्ञापन के निबंधन एवं शर्तों सहित तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) उक्त समझौता ज्ञापन के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली संभावित सुविधाएं और सहायता क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ग्रामीण उद्यमी को अपना उद्यम शुरू करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ड.) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन हेतु सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चन्द्रशेखर)

(क) राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा (कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन) और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) के माध्यम से ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर प्रोत्साहित करने के लिए 3 मार्च, 2022 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।

(ख) समझौता ज्ञापन 3 मार्च, 2022 को लागू हुआ और चार वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। दोनों पक्ष इस अवधि को आगे ऐसे नियमों और शर्तों पर बढ़ा सकते हैं जिन पर वे पारस्परिक रूप से सहमत हों।

(ग) राष्ट्रीय उद्यमशीलता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक उप-स्कीम, स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) के लिए राष्ट्रीय संसाधन संगठन (एनआरओ) के रूप में कार्य करेगा और स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) का समर्थन करेगा। इसके अलावा, एसआरएलएम एनआरओ को उद्यम संवर्धन से संबंधित गतिविधियों जैसे प्रशिक्षण आदि के लिए भी संबद्ध कर सकते हैं। एसवीईपी के कार्यान्वयन में एनआरओ की दो-आयामी भूमिका होने की उम्मीद है।

i. **कार्यान्वयन भूमिका:** राज्यों के साथ कार्यान्वयन भागीदारों के रूप में ब्लॉकों में एसवीईपी का प्रत्यक्ष कार्यान्वयन।
ii. **कार्यक्रम स्केल-अप भूमिका:** ब्लॉकों में एसवीईपी के कार्यान्वयन के अनुभव और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में उनके पूर्व अनुभव के आधार पर, निस्बड स्कीम को बढ़ाने में मदद करेगा।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय गैर-कृषि क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर उद्यम स्थापित करने के लिए ग्रामीण गरीब लोगों की मदद करने के उद्देश्य से दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के तहत एक उप-स्कीम के रूप में स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमशीलता कार्यक्रम (एसवीईपी) को कार्यान्वित कर रहा है। परियोजना के लाभार्थी डीएवाई-एनआरएलएम के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) इकोसिस्टम से हैं। परियोजना की परिचालन इकाई ब्लॉक है। स्वीकृत निधि से एक ब्लॉक में अधिकतम 2,400 उद्यमों का समर्थन किया जा सकता है। यह मौजूदा उद्यमों के साथ-साथ नए उद्यमों की स्थापना का समर्थन करता है। ग्रामीण उद्यमियों को वित्त तक पहुंचने में मदद करने के अलावा, उद्यमों को व्यावसायिक सहायता सेवाएं प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों- उद्यम संवर्धन (सीआरपी-ईपी) के एक कैडर को भी बढ़ावा दिया जाता है। एसवीईपी के तहत एक ब्लॉक के लिए अधिकतम बजट 597.76 लाख रुपये है। परियोजना की अवधि डीपीआर अनुमोदन की तिथि से 4 वर्ष की अवधि के लिए है। अब तक 23 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 1,92,168 उद्यमों को समर्थन दिया गया है।

(च) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) 2008-09 से देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में खादी और ग्राम उद्योग आयोग के माध्यम से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमईजीपी के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों/महिलाओं/भूतपूर्व सैनिक/शारीरिक रूप से दिव्यांग/पूर्वोत्तर/पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि जैसे विशेष श्रेणियों के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में मार्जिन मनी सब्सिडी 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। विनिर्माण इकाई के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये है।

इसके अलावा, भारत में उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में देश भर में 588 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) काम कर रहे हैं, जो स्व-रोजगार इकाइयों/गतिविधियों को प्रारंभ करके ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को कौशल और उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान कर रहे हैं ताकि उन्हें रोजगार की सुविधा मिल सके। सरकार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को आरएसईटीआई द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति कर रही है।

****